बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय विद्युत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना)

(योजना विभाग)

परिपत्र

पत्रांक–: PLG/ 6156/2012/ पार्ट–1 / एन0बी0 300 / दिनांक– 04/09/2013

विषयः– **जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश।**

राज्य के कई जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न योजना यथा आई0ए0पी0, अल्पसंख्यक विकास योजना, बी0ए0डी0पी0 आदि से बिजली के क्षेत्र में कार्य कराने हेतु अनुरोध किया गया है। इन योजनाओं के द्वारा प्रदत्त निधि से जले हुए/ खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने, रिकन्डक्टरिंग करने आदि की योजनाओं पर कार्य कराने का प्रस्ताव है। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गई निधि से कार्य कराने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्त्तों एवं प्रक्रिया के अन्तर्गत दी जाती है।

1. कार्य का नामः– IAP/BADP/ MADP/ Other स्कीम में जिलान्तर्गत विशेष विद्युत कार्य (Special Electricity Work in District- SEWD)

2. तत्काल उक्त योजना के अंतर्गत 16/25 के0वी0ए0 के जले हुए अथवा खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने, पाँच पोलों तक एल0टी0 लाईन का विस्तार करने तथा रिकन्डक्टरिंग करने का कार्य किया जा सकेगा। यदि इसके अतिरिक्त किसी जिले में अन्य कोई कार्य करने का प्रस्ताव है तो उन्हें संबंधित कम्पनी से अनुमति प्राप्त करके ही किया जा सकेगा।

   संबंधित जिलाधिकारी के स्तर से प्रस्तावित कार्य एवं निधि का उल्लेख करते हुए संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को लिखित प्रस्ताव दिया जायगा।

3. कार्यपालक अभियंता द्वारा प्राक्कलन में इसे "जिलान्तर्गत विशेष विद्युत कार्य" (SEWD) की श्रेणी एवं शीर्ष दी जायगी। इसमें प्राक्कलित राशि के उपर पाँच प्रतिशत एजेंसी शुल्क भारित किया जायगा। प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा दी जायेगी। (DoP में वर्णित शक्ति के अनुसार)

4. संपूर्ण प्राक्कलित राशि (एजेंसी शुल्क सहित)– लेखा पदाधिकारी, संबंधित विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल के पास जमा करायी जायगी।

5. कार्य के प्रभारी अभियंता– संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल होंगे। टर्न–की पर कार्य कराने हेतु निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, किन्तु LOA शत–प्रतिशत प्राक्कलित राशि जिलाधिकारी द्वारा अग्रिम के रूप में वितरण कम्पनी को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त किया जा सकेगा। बिना पूर्ण राशि की उपलब्धता के किसी भी स्थिति में कार्यादेश नहीं दिया जायगा।

6. योजना के कार्यान्वयन में Right of way के कारण अथवा अन्य प्रशासनिक/कानूनी आधार पर विलम्ब होने पर विद्युत वितरण कम्पनी योजना–लागत के अधिव्यय की माँग करने की हकदार होगी।

7. समय–समय पर संबंधित विद्युत कम्पनी इसके संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश व Clarification दे सकेगी।

ह0/–

(संदीप पौण्डरीक)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक